लघु उद्योगों द्वारा किया गया निर्यात

534. श्री राम जेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश के कुल निर्यात का कितना-कितना प्रतिशत लघु उद्योग द्वारा निर्यात किया गया था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और गत वर्षों के दौरान ये सुविधायें कब-कब उपलब्ध करायी गयी थीं; और

(घ) उपरोक्त सुविधाओं में से वे सुविधायें कौन-कौन सी हैं जिनके आधार पर रोजगार के अधिकतम अवसर उत्पन्न होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) लघु उद्योग में कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र के भाग में 1992-93 की तुलना में 1993-94 में अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) निर्यात संबंध आंकड़ों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	कुल निर्यात में लघु उद्योगों का प्रतिशत भाग
1992-93	33.34
1993-94	36.38
1994-95	अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लघु उद्योग क्षेत्र की निम्नलिखित सुविधायें प्रदान कर रही है।

(1) विदेशों में हुई अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में चुनिन्दा लघु औद्योगिक एककों को प्रायोजित किया जा रहा है। स्थल का किराया, भाड़ा, बीमा प्रदर्शनीय वस्तुओं का सम्भालना और उनके समाशोधन संबंधी खर्चे का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग विनिर्माताओं द्वारा सुविधाजनक प्रयोग/वाणिज्यक वाहनों के संबंध में उत्पन्न व्यापार संबंधी जानकारी समस्त भारत के आधार पर प्रचालित की जाती है। चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सीडो द्वारा भाग लेना 1985 से शुरू हुआ था।

(2) निर्यातों संबंधी पैकेज के प्रशिक्षण कार्यक्रम लघु उद्योग निर्यातकों को आधुनिक पैकेजिंग मानदण्डों/विधियों को परिचित करवाने के लिए देश में विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम भारतीय पैकेजिंग संस्थान की सहायता से आयोजित किये जाते हैं जो कि संबंधित मामले में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। यह विशेष और सामान्य उद्योग के कार्यक्रम हैं। यह कार्यक्रम 1978-79 से शुरू किये गये थे।

(3) सरकार लघु उद्योग विनिर्माताओं/निर्यातकों को तकनीकी और प्रबन्धकीय सलाह देती है।

(4) सरकार ने गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है जो कि लघु उद्योग विनिर्माताओं को देश में गुणवत्ता संबंधी जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों को वर्ष 1986 में आरम्भ किया गया था।

(5) आयात एवम् निर्यात नीति के अन्तर्गत लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात को, निर्यातगृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह/सुपर स्टार व्यापार गृह के रूप में मान्यता देने के लिए अतिरिक्त बल दिया गया है। निर्धारित स्तर प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे गृह विशेष आयात लाइसेंस दिये जाने के पात्र हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद ये गृह विशेष आयात लाइसेंस मंजूरी के लिए पात्र होते है। लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित मालों का निर्यात करने के लिए निर्यातकों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त विशेष आयात लाइसेंस की अनुमति दी जाती है।

(6) उपर्युक्त के अलावा, निर्यात आयात नीति, 1992-93 में यथा उपबंधित प्रोत्साहन लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों को भी उपलब्ध है।

उपर्युक्त सुविधाओं के जरिये अधिक निर्यात उत्पादन से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।